



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

शिक्षा सदन, 17, इन्स्टिट्यूशनल क्षेत्र, राउज एवेन्यू, दिल्ली-110002.

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organization under the Union Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)

"Shiksha Sadan", 17, Institutional Area, Rouse Avenue, Delhi-110002



के.मा.शि.बो./शै./नि.(शै.अ.प्र.ए.एवं न.)2016

31अगस्त 2016

परिपत्र संख्या 34/2016

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध
सभी विद्यालय प्रमुखों के लिए

विषय: शैक्षिक सत्र 2016-17 में कक्षा IX/X के विद्यार्थियों के प्रथम सत्र के मूल्यांकन के प्रमाणों (EOA) का सत्यापन।

प्रिय प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या

किसी भी शिक्षा व्यवस्था में विद्यार्थी का प्रभावी मूल्यांकन सफलता की कुंजी है, शैक्षणिक सुधारों की गुंथलाओं से परिचित कराए जाने के बाद, के.मा.शि.बो. अपने विद्यार्थियों के निष्पक्ष और प्रभावी मूल्यांकन के लिए गहन वचनबद्ध है, जो कि उनके संपूर्ण स्वस्थ व्यक्तित्व के विकास के लिए व्यवहार्य और तनाव रहित मार्गदर्शन हेतु है।

विद्यालय स्तर पर मूल्यांकन प्रवृत्ति की विश्वसनीयता और वैधता के उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए, बोर्ड ने पिछले कुछ वर्षों से विद्यालय स्तर पर किए गए मूल्यांकन के साक्ष्यों का चयन और सत्यापन शुरू किया है। इन मूल्यांकनों के साक्ष्यों और प्रदान किए गए अंको का बोर्ड द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर नियुक्त किए गए, पैनलीकृत किए गए विषय के मूल्यांकन कर्ताओं द्वारा सत्यापन किया जाता है। विषय के मूल्यांकनकर्ता मूल्यांकन के साक्ष्यों के साथ-साथ प्रदान किए अंको पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। उनकी रिपोर्ट विद्यालय आधारित मूल्यांकन के सत्यापन में सहायता करेगी, साथ ही बोर्ड को प्रतिपुष्टि भी प्रदान करेगी।

जैसे कि अभी तक साक्ष्य हैं कि सभी विद्यालयों को प्रत्येक सत्र में साक्ष्य भेजने के लिए चयनित नहीं किया जाता है। क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा लघु सूचीकृत किए गए विद्यालयों को FA-1 और FA-2 तथा कक्षा IX/X प्रथम सत्र के (2016-17) सह शैक्षिक मूल्यांकन के प्रमाण भेजने के लिए सूचित किया जाता है। रचनात्मक मूल्यांकन में प्रमाण निम्न पांच विषयों में इकट्ठा किए जाते हैं:



पूर्वसत्रों में अपनायी गई प्रवृत्ति के अनुसार बोर्ड विविध शहरों में शहर समन्वयक नियुक्त करेगा जहां चयनित विद्यालयों को अपने प्रमाणों को भेजना होगा।

विद्यालयों को मूल्यांकनों के प्रमाण के लिए माइक्रोसाइट (<http://49.50.70.100/ea/index.asp>) पर संपर्क करने और निम्न का अवलोकन करने के लिए निवेदित किया जाता है।

1. विद्यालयों की विस्तृत सूची (माइक्रोसाइट पर क्षेत्रानुसार उपलब्ध) सत्र-I के लिए मूल्यांकन के प्रमाण प्रेषित करने के लिए चयनित (विषय और नियत की गई कक्षा/शहर समन्वयकों का विवरण/क्षेत्रीय कार्यालय जहां प्रमाण प्रेषित किए जाने हैं)
नोट:सूची 7 सितम्बर 2016 से अपलोड की जाएगी।
2. विद्यालयों के लिए मार्गदर्शन
3. FAQ's
4. ऑनलाइन अद्यतन करने के लिए विद्यालयों हेतु निर्देश।
5. मूल्यांकनों के प्रमाणों पर प्रवाह चार्ट
6. सारांश के साथ पूर्व सत्र का विश्लेषण और निष्कर्ष प्रमाण भेजने के लिए नमूनों का चयन

साक्ष्य भेजने के लिए मूल्यांकनों का चयन

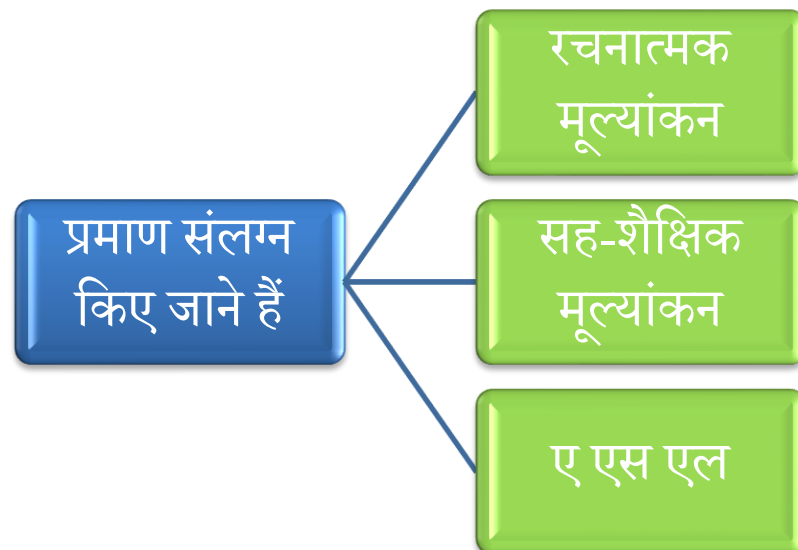
मूल्यांकनों के प्रमाण में तीन श्रेणियों अर्थात्, रचनात्मक मूल्यांकन में उच्च, मध्य और निचले स्तर के प्रत्येक से लिए गए पांच विद्यार्थियों का निष्पादन अंतर्निहित है:

1. कक्षा IX/X (सभी अनुभागों से) इन विद्यार्थियों को, रचनात्मक मूल्यांकन-I और रचनात्मक मूल्यांकन-2 में एक साथ अर्जित अंको के घटते क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें।
2. कुल विद्यार्थियों को निम्नानुसार तीन समूहों में विभाजित करें:
क. उच्चस्थ एक तिहाई विद्यार्थी
ख. मध्य के एक तिहाई विद्यार्थी
ग. निचले स्तर के एक तिहाई विद्यार्थी

उदाहरणार्थ यदि विद्यालय की कक्षा IX/X में 100 विद्यार्थी हैं तो अंको के घटते क्रमानुसार क्रमशः 33, 33, और 34 विद्यार्थियों के समूह बनाए जा सकते हैं।

3. प्रथम समूह से उच्च पांच विद्यार्थी चुनें, अन्तिम पांच तीसरे समूह से और कोई भी पांच विद्यार्थी मध्य समूह से
4. यह पन्द्रह सदस्यों का आपका नमूना है जिसके लिए रचनात्मक मूल्यांकन के साथ सह शैक्षिक मूल्यांकनों के प्रमाण प्रेषित किए जाने हैं।

इस प्रकार यदि आपका चयन होता है तो आपको 15 विद्यार्थियों के मूल्यांकनों के प्रमाण, प्रस्तुत करने हैं। यह केवल 01 कक्षा और 01 विषय के लिए लागू है, जोकि आपको क्षेत्रीय कार्यालय/के.मा.शि.बो. माइक्रोसाइट द्वारा सूचित किया जाएगा।



• रचनात्मक मूल्यांकन

विद्यालय को नियत विषय में रचनात्मक मूल्यांकन-I और रचनात्मक मूल्यांकन-II के कार्यों के बारे में विवरण भेजना है: इसमें अंको को अलग-अलग तथा मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त शीर्षक सम्मिलित होना चाहिए। यदि मूल्यांकनों के प्रमाण (EOA) इस प्रकार के हैं कि जैसे सेमिनार, सामूहिक चर्चा, मॉडल्स, चार्ट्स जैसे जिन्हें भेजा नहीं सकता तो आबंटन पर शिक्षक द्वारा एक संक्षिप्त विवरण तैयार किया जाना चाहिए (विवरण के प्रारूप के लिए संलग्नक-II का अवलोकन करें) इसमें विद्यार्थियों को अलग से या समूह में, साथ-साथ अपनायी गई नीति, शीर्षक और विद्यार्थी के निष्पादन को आंकने के लिए किए गए उपाय सम्मिलित होने चाहिए। विद्यालयों को केवल उन्हीं कार्यों को प्रेषित करना चाहिए जिन्हें रचनात्मक मूल्यांकन-I और रचनात्मक मूल्यांकन-II तक पहुंचने के लिए ध्यान में रखा गया है।

• संकलित मूल्यांकन

विद्यालयों को संकलित मूल्यांकन के प्रमाण प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें केवल संकलित मूल्यांकन-I के लिए 15 चयनित विद्यार्थियों के अंक उपलब्ध कराए गए फॉर्मेट में रखने हैं। (जिनके संकलित मूल्यांकन के प्रमाण संलग्न किए गए हैं)

सह-शैक्षिक मूल्यांकन

सह-शैक्षिक मूल्यांकनों के मामलों में कृपया आलेख, विद्यार्थियों के परिणामों के प्रमाण, फोटोप्रतियां, उपख्यानात्मक रिकार्ड, पोर्टफोलियो, और चयनित 15 विद्यार्थियों की निष्पादन की सीडी प्रेषित करें। प्रयुक्त मूल्यांकन उपकरण विधि और इसके शीर्षक के साथ ही कृपया उन कार्यकलापों के बारे में वर्णन करें जो सह-शैक्षिक क्षेत्रों और सह-पाठ्यक्रमिक गतिविधियों के लिए की गई है (आलेख के फॉर्मेट के लिए संलग्नक II का अवलोकन करें) नोट: सह-शैक्षिक मूल्यांकन के लिए चयनित वही 15 विद्यार्थी होंगे जो रचनात्मक मूल्यांकन के लिए हैं।

जब क्षेत्रीय कार्यालय प्रमाण भेजने के लिए कहेगा, कृपया सुनिश्चित करें कि नियत विषय में मूल्यांकनों के प्रमाण (EOA's) सह-शैक्षिक मूल्यांकनों के प्रमाण सहित स्पीड डाक या हाथों हाथ (विद्यालय की लागत पर) संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/शहर समन्वयक के पास 20 अक्टूबर 2016 तक भेजे जाने हैं। विद्यालयों से पुनः समय सीमा का पालन करने के लिए आग्रह किया जाता है ताकि प्रतिपुष्टि रिपोर्ट समय से उन्हें प्रेषित की जा सके। यह आवश्यक है कि प्रमाणों के संग्रहण की जांच सूची (संलग्नक प्रथम, तृतीय एवं चतुर्थ) अलग संलग्न की जाती है।

विद्यालय नोट कर सकते हैं कि उन्हें एक शैक्षणिक सत्र के दौरान एक बार ही प्रमाण भेजने के लिए कहा जाएगा। वे विद्यालय जो शैक्षणिक वर्ष के दो सत्रों 2014-16 में फलतः उच्च अंक प्राप्तकर्ता हैं, 2014-15 के सत्र प्रथम में (32 या 33) या 2014-15 के सत्र दो में (35 या 36) और 2015-16 के प्रथम सत्र में (32 या 33) या 2015-16 के द्वितीय सत्र में (35-36) अंक प्राप्त कर्ता हैं, को अगले दो शैक्षणिक सत्रों अर्थात् 2016-17 और 2017-18 में मूल्यांकनों के प्रमाण भेजने की आवश्यकता नहीं है। किन्हीं दो निरन्तर सत्रों में उच्च अंक प्राप्त विद्यालयों के नाम क्षेत्रीय, कार्यालयों द्वारा नए चयनित विद्यालयों में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे जो कि 05 सितम्बर 2016 को मूल्यांकनों के प्रमाण की माइक्रोसाइट पर अपलोड होगी तथापि पिछले सत्र में कम अंक अर्जित कर्ता विद्यालयों तथा वे विद्यालय जिन्होंने पूर्व सत्र में अपने मूल्यांकनों के प्रमाण नहीं भेजे हैं, को अपने प्रमाण पुनः भेजने के लिए कहा जा सकता है। किसी प्रकार की जानकारी के लिए श्रीमती मृदुला सिंह, उप निदेशक से 011-23211200 पर संपर्क कर सकते हैं या अधोहस्ताक्षरी को प्रतिलिपि प्रेषित करते हुए singhmcbse@gmail.com पर ई-मेल कर सकते हैं।

सादर,

हस्ताक्षरित

के.के. चौधरी

निदेशक (शैक्षणिक, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं नवाचार)

संलग्नक-I विद्यार्थियों के आंकड़े संग्रहण के लिए जांच सूची-एसबीए

II आलेख का प्रारूप (संरूपात्मक मूल्यांकन/सह-शैक्षिक मूल्यांकन)

III उपस्थिति की प्रतिशतता की गणना

IV मूल्यांकनों के प्रमाणों की पैकिंग और प्रेषण प्रक्रिया

V CCE के मूल्यांकनों को प्रेषित की जाने की पावती सत्र -I, 2016-17

अधोलिखित, समस्त निदेशालयों, संगठनों, संस्थानों के प्रमुखों और अधिकारियों को प्रतिलिपि इस अनुरोध के साथ जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी विद्यालयों को सूचना प्रदान करने का कष्ट करें।

- 1 आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18-इंस्टीट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016
- 2 आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, बी -15, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा 201307
- 3 शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, नई दिल्ली-110054
- 4 निदेशक, सार्वजनिक निर्देश (विद्यालय), केन्द्र शासित प्रदेश सचिवालय, सेक्टर-9 चंडीगढ़-160017
- 5 शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम-737101
- 6 निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर-791111
- 7 शिक्षा निदेशक, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर-744101
- 8 राज्य शिक्षा संस्थान, के.मा.शि.बो. कक्ष, वी.आई.पी. मार्ग जंगली घाट. पी.ओ.-744103 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
- 9 केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, एस.एस. प्लाज़ा, सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली-110085
- 10 अपर महानिदेशक, ए-विंग, सेना भवन, डीएचक्यू पीओ, नई दिल्ली-110001
- 11 निदेशक, एडब्ल्यूईएस, रक्षा मंत्रालय (सेना), एकीकृत मुख्यालय, FDRC बिल्डिंग नं 202, शंकर विहार (निकट ए पी एस), दिल्ली कैट-110010.
- 12 अवर सचिव (ईई-1) मानव संसाधन विकास मंत्रालय शास्त्री भवन नई दिल्ली-110001
- 13 सभी क्षेत्रीय निदेशक/क्षेत्रीय अधिकारी के.मा.शि.बो. को अपने संबंधित क्षेत्रों में बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यालयों के प्रमुखों को परिपत्र की प्रति प्रेषित करने हेतु
- 14 सभी एसोसिएट प्रोफेसर और अपर निदेशक/सलाहकार/परामर्शदाता
- 15 सभी अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक-निदेशक, वोकेशनल सेल, के.मा.शि.बो.
- 16 प्रभारी अधिकारी आई.टी.परिपत्र को के.मा.शि.बो. की वेबसाइट पर डालने हेतु
- 17 सभी सहायक प्रोफेसर एवं संयुक्त निदेशक, के.मा.शि.बो.
- 18 सभी सहायक प्रोफेसर एवं उप निदेशक, के.मा.शि.बो.
- 19 सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, के.मा.शि.बो.
- 20 जन संपर्क अधिकारी, के.मा.शि.बो.
- 21 अध्यक्ष, के.मा.शि.बो., के वरिष्ठ निजी सचिव
- 22 सचिव, के.मा.शि.बो. के वरिष्ठ निजी सचिव
- 23 परीक्षा नियंत्रक, के.मा.शि.बो. के वरिष्ठ निजी सचिव
- 24 निदेशक (विशेष परीक्षा तथा सी.टी.ई.टी.), के.मा.शि.बो., के वरिष्ठ निजी सचिव
- 25 निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) के वरिष्ठ निजी सहायक
- 26 अपर निदेशक एवं प्रभारी (अनुसंधान एवं नवाचार) के निजी सहायक

अपर निदेशक (अनुसंधान एवं नवाचार)